अविप्रा **अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर** अविप्रा

क्रमांक/अविप्रा/सचिव/2021/886-1016 दिनांक 23/11/21

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.11.2021 को 11:00 बजे श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई । बैठक कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1. श्री किशोर कुमार, सचिव, अ.वि.प्रा., अजमेर सदस्य सचिव
2. श्री सुनील कुमार, अति.पुलिस अधिक्षक, अजमेर
3. श्रीमती नीतू यादव, उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर
4. श्री अनिल गुप्ता, निदेशक विधि, अ.वि.प्रा., अजमेर
5. श्री राजकिशोर मीणा, निदेशक वित, अ.वि.प्रा., अजमेर
6. श्री पी.आर.बेनीवाल, निदेशक आयोजना, अ.वि.प्रा, अजमेर
7. श्री अनिल कुमार, निदेशक अभियांत्रिकी,अ.वि.प्रा, अजमेर
8. श्री एन.के.भटनागर, अधिक्षण अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण, निगम, लि. अजमेर
9. श्री सी.के.बसंल, अधिक्षण अभियंता,सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर
10. श्री जितेन्द्र शर्मा अधिशाषी अभियंता, जन.स्वा.अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर
11. श्री त्रिलोकचन्द्र कुमावत, सहायक अभियंता, नगर परिषद, किशनगढ़
12. श्रीमती सुनिता यादव, उपायुक्त, अ.वि.प्रा., अजमेर

सर्वप्रथम सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण ने समस्त आगन्तुक समिति के सदस्यो का स्वागत किया बैठक में बाद विचार विर्मश प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की पुष्टी की गई तत्पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र.स.	एजेण्डा बिन्दु का विवरण	सवंधित प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
1	दिनांक 08.09.2021 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि । निर्णयः–सर्वसम्मति से दिनांक 08.09.2021 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक मे लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि की गई।	सचिव (किशोर कुमार) सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण
2	जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज का कायड स्थित नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु कसंलटेन्सी के कार्यादेश के स्वीकृति के क्रम में मेडिकल शिक्षा विभाग द्वारा जे.एल.एन. मेडिकल कॉलेज का कायड स्थित नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य (राशि रू. 192.91 करोड़) हेतु अजमेर विकास प्राधिकरण को पत्र क्रमांक	निदेशक अभियांत्रिकी

(किशोर कुमार)
सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

Scanned with CamScanner

	F.15(69)/DME/AjmerMed.College/2021/3313Date 16.07.2021 कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया था। कार्य की कन्सलटेन्सी हेतु QCBS Method के आधार पर निविदा आमंत्रित की गई। निविदा में कुल 10 निविदादाताओं ने भाग लिया जिसमें से 6 निविदादाता तकनीकी बिड में तकनीकी रूप से योग्य पाए गए व इनकी वित्तीय बिड खोली गई। M/s DesignArchitect के अधिकतम marksप्राप्त किए तथा राशि (5426750.00 + GST extra as applicable) का कार्यादेश दिनांक 22.09.2021 को जारी किया गया। अतः प्रकरण कन्सलटेन्सी की दर स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	
3	**304 मकानों (जी+1) का जेएनएनयूआरएम परियोजना के तहत भगवानगंज, अजमेर में निर्माण कार्य" को रिस्ट एण्ड कॉस्ट पर करने की अनुमति बाबत् ।** केन्द्र सरकार की जेएनएनयूआरएम परियोजना के तहत बी.एस.यू.पी योजना के अन्तर्गत अजमेर शहर के भगवानगंज क्षेत्र में 304 आवासगृह (जी+1) के निर्माण हेतु संवेदक मैसर्स ग्यारसीलाल मोहनलाल, जयपुर को राशि रू.6,26,29,654/–का कार्यादेश दिनांक 28.02.2012 को दिया गया था। जिसकी कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 12.03.2012 तथा समाप्त करने की दिनांक 11.03.2013 थी। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में संवेदक को राशि रू. 5.21 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। संवेदक द्वारा मौके पर भूमि उपलब्धता के आधार पर 224 आवासगृह का ही निर्माण कार्य किया गया है। संवेदक द्वारा फिनिशिंग का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस क्रम में संवेदक को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.04.2016 06.05.2016, 17.04.2017, 07.08.2018, 01.01.2019, 07.08.2020 एवं 04.10.2021 को पत्र द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिए गए परन्तु संवेदक द्वारा क्लॉज 23 के तहत Empowered Standing Committeeके समक्ष कार्य को यथास्थिति फाईनल करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। Empowered Standing Committeeकी बैठक दिनांक 01.09.2021 को यह निर्णय लिया गया कि "संवेदक सर्वप्रथम अधूरा कार्य पूर्ण करें तत्पश्चात ही फाईनल बिल बनाकर निमयानुसार Security Deposit राशि लौटाई जाएगी"। आदेश की पालना में दिनांक 04.10.2021 को संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस दिया गया परन्तु संवेदक द्वारा कार्य नही किया गया। अतः अनुबन्ध की धारा 3.2(a) के तहत समस्त जमा राशि	निदेशक अभियांत्रिकी

Scanned with CamScanner

	(Security Deposit) जब्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर शेष कार्य पूर्ण कराये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। **निर्णयः— उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	
4	**गैर—योजना मद में निर्माण कार्य के भुगतान पुनर्विनियोजन बाबत्।** प्राधिकरण के वर्ष 2021—22 के बजट के पृष्ठ संख्या 10 क्रम संख्या 04 से गैर—योजना मद में निर्माण कार्य हेतु 1300.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था परन्तु इस वर्ष खेल गतिविधियों को बढावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर खेल मैदान निर्माण हेतु स्वामी विवेकानन्द स्कूल में राशि रुपये 90.78 लाख,राजा कोठी में राशि रुपये 49.59 लाख, जवाहर स्कूल में राशि रुपये 62.44 लाख, पुलिस चौकी जे.पी. नगर में राशि रुपये 68.95 लाख कुल राशि रुपये 271.76 लाख के प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न स्थानो पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने हेतु नगरीय विकास विभाग के निर्देशानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को 210.00 लाख हस्तांतरित किए गए। उपरोक्त प्रस्ताव/स्वीकृतियां वर्ष 2021—22 के बजट को पारित कराते समय मूल बजट में शामिल नही थी परन्तु तात्कालिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत उक्त व्यय की स्वीकृति/हस्तांतरण किया गया है इस प्रकार उक्त मद में स्वीकृत बजट 1300.00 लाख अपर्याप्त रहेगा तथा वर्ष पर्यन्त के लिए राशि रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता रहेगी। प्राधिकरण के बजट 2021—22 के पेज संख्या 08 क्रम संख्या 01 II – 3 से JnNURM Sewrageके लिए 1000.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था जिसमें से राशि रुपये 500.00 लाख योजना मद में कर्मगारों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोजित की गई थी। इस प्रकार बजट प्रावधान राशि रुपये 500.00 लाख शेष रहा था। आज दिनांक तक उक्त मद में व्ययराशि रुपये 0.50 लाख ही खर्च हुए है। इसलिए उक्त मद से राशि रुपये 300.00 लाख गैर—योजना मद में पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव रखा जाता है। इसी प्रकार पेज संख्या 11 क्रम संख्या 9 ऋण पुनर्भगतान के लिए 450.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया था जिसमें से आज दिनांक राशि रुपये 134.00 लाख व्यय की गई हे। वर्ष पर्यन्त राशि रुपये 300.00 लाख व्यय होने की संभावना है, इस मद से राशि	निदेशक वित्त

Scanned with CamScanner

रुपये 150.00 लाख एवं क्रम संख्या 10 पर अंकित ऋण पर ब्याज भुगतान मद में 200.00 लाख के व्यय का बजट स्वीकृत किया गया था उक्त मद में आदिनांक तक राशि रुपये 58.86 लाख व्यय हुए है। इस मद से भी राशि रुपये 50.00 लाख के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव रखा जाता है।

पुनर्विनियोजन के पश्चात् वर्णित मदों में बजट प्रावधान की स्थिति निम्नानुसार रहेगी।

क्र.स.	बजट मद / उपमद	वर्तमान बजट में प्रावधान (लाखो में)	प्रस्तावित पुनर्विनियोजन के पश्चात् प्रावधान (लाखो में)	अन्तर राशि रुपये (लाखो में)
1	गैर–योजनाओं के निर्माण कार्यो पर भुगतान	1300.00	1800.00	+ 500.00
2	अन्य टाईड मद / JNNURM सीवरेज कार्य	500.00	200.00	- 300.00
3	ऋण पुनर्भगतान	450.00	300.00	-150.00
3	ऋण पर ब्याज	200.00	150.00	-50.00

प्राधिकरण की SOP पार्ट III (Miscellaneous) के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार पुनर्विनियोजन की शक्तियां कार्यकारी समिति में निहित है अतः पुनर्विनियोजन प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।

(राजकिशोर मीना)

5 **राशि रुपये 6.00 करोड स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर के खाते में स्थानांतरित करने बावत्।** — निदेशक वित्त

प्राधिकरण के बजट प्रस्ताव वर्ष 2021–22 के आईटम संख्या 21 के द्वारा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मेचिंग शेयर दिए जाने के लिए राशि रुपये 5000.00 लाख का प्रावधान किया गया था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पत्रांक 2939 दिनांक 13.09.2021 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी लिमिटेड़ हेतु 294.00 करोड रुपये प्राप्त हुए है इससे प्राधिकरण की हिस्सा राशि 60.00 करोड रुपये बनती है।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.10.2021 तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड को राशि रुपये 51.00 करोड़ (स्वीकृत बजट से 1.00 करोड रुपये अधिक) पूर्व में ही हस्तांतरित किए जा चुके है। अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 11.11.2021 को

(राजकिशोर मीना)

Scanned with CamScanner

आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राशि रुपये 500.00 लाख स्मार्ट सिटी को हस्तांतरित किए गए। इस प्रकार कुल स्वीकृत बजट से 600.00 लाख अधिक व्यय किए जा चुके है। जिसका पुनर्विनियोजन किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण के बजट वर्ष 2021–22 के बिन्दु संख्या 1 II –1 भूमि अवाप्ति पर भुगतान वेटलैण्ड सहित राशि रुपये 600.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमें आदिनांक तक कोई राशि व्यय नही की गई है इसलिए उक्त मद से राशि रुपये 600.00 लाख स्मार्ट सिटी लिमिटेड़ को हिस्सा राशि मद में पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव रखा जाता है।

उक्त पुनर्विनियोजन के पश्चात् वर्णित मदों में बजट प्रावधान की स्थिति निम्नानुसार रहेगी।

क्र.स.	बजट मद / उपमद	वर्तमान बजट में प्रावधान (लाखो में)	प्रस्तावित पुनर्विनियोजन के पश्चात् प्रावधान (लाखो में)	अन्तर राशि रुपये (लाखो में)
1	स्मार्ट सिटी लिमिटेड को प्राधिकरण की हिस्सा राशि	5000.00	5600.00	+ 600.00
2	भूमि अवाप्ति पर भुगतान वेटलैण्ड सहित	600.00	000.00	- 600.00

प्राधिकरण की SOPपार्ट III (Miscellaneous)के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार पुनर्विनियोजन की शक्तियां कार्यकारी समिति में निहित है अतः पुनर्विनियोजन प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।

(राजकिशोर मीना)

Scanned with CamScanner

6	**अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अधीन यू.ए.वी ड्रोन सर्वे एवं जी.आई.एस बेस्ड बेस मैप, विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र के कार्य बाबत्।** **1.** उक्त कार्य हेतु कार्यालय के आदेश क्रमांक अविप्रा/प. 6/भण्डार/पत्रांक/3225 दिनांक 07.07.2021 द्वारा राशि 12010.00 (बारह हजार दस रूपये) प्रति वर्ग किलोमीटर स्वीकृत की गयी। जिसके क्रम में संवेदक द्वारा दिनांक 15.07.2021 को निविदा राशि की 2.5 प्रतिशत की दर से परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में बैंक गारन्टी राशि 225188.00 (दो लाख पच्चीस हजार एक सौ अठियासी रूपये) प्राधिकरण कार्यालय में जमा करायी गयी परन्तु समय पर अनुबन्ध निषादन ना होने से एवं कार्य की अवधि समाप्त होने के कारण कार्यालय के आदेश क्रमांक अविप्रा/प.6/भण्डार/पत्रांक/2021/427 दिनांक 29.09.2021 के द्वारा दिनांक 07.07.2021 के कार्यालय आदेश को आहरित (Withdrawal) किया गया। कार्यादेश आहरित के प्रतिउत्तर में मैसर्स याशि कन्सलटिन्ग सर्विस प्रा.लि. के पत्र क्रमांक YCSPL/AJMER/ZDP/968 दिनांक 29.09.2021 की समिक्षा हेतु निर्देशानुसार आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। **2.** उक्त समिति द्वारा दिनांक 11.10.2021 को कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्राधिकरण के आदेश दिनांक 29.09.2021 को प्रत्याहारित (Revoke) किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में कार्यालय के संशोधित आदेश क्रमांक अविप्रा/प. 6/भण्डार/पत्रांक/2021/10411 दिनांक 27.10.2021 जारी किये गये एवं प्राधिकरण के पत्र क्रमांक अविप्रा./नियोजन/प. 3/2021/725 दिनांक 11.11.2021 द्वारा मास्टर डवलपमेंट प्लान 2033 अजमेर रीजन में प्रस्तावित यू–1 क्षेत्र एवं आस–पास के घनत्व आबादी क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल 245 वर्ग किलोमीटर) का ही ड्रोन सर्वे इत्यादि के कार्य हेतु संवेदक को निर्देशित किया गया। अतः प्रकरण में समिति के निर्णय एवं तत्पश्चात संबंधित आदेशों की पुष्टि हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। **निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।**	निदेशक आयोजना निदेशक आयोजना अ. वि. प्रा. अजमेर
7	**अजमेर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत योजनाओं के क्षेत्रों एवं मुख्य सड़को की परम्परागत रोड़ लाईटो को एल.ई.डी. में बदलने का कार्य बाबत।** **उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्य के प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–** 1. प्राधिकरण द्वारा रोड़ लाईटे के संधारण व संचालन का कार्य	**निदेशक अभियांत्रिकी**

Scanned with CamScanner

प्रतिवर्ष किया जा रहा है, इन लाईटो में 1X26 वाट, 4x14 वाट, सोडियम लाईट व एल.ई.डी. लाईटे लगी हुई है, जिनकी संख्या लगभग 10,000 है, जो कि लाईटे परम्परागत है।

2. इन लाईटो के अनुरक्षण में लगने वाला सामान स्थानीय बाजार में समय पर उपलब्ध न होने के कारण पुनः ठीक करने में कठिनाई आती है।
3. प्राधिकरण क्षेत्र में वर्तमान में लगभग 9500—10000 लाईटें चालू अवस्था में हैं, जिनको LED में Change किया जाना आवश्यक है, चूंकि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आदेशित भी किया गया है।
4. LED लाईटों की तुलना में परम्परागत लाईटों का बिजली व्यय, अनुरक्षण एंव संधारण में व्यय अधिक करना पड़ता है।
5. परम्परागत लाईटो व एल.ई.डी लाईट का आगामी 07 वर्षो के लिए तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार परम्परागत लाईटो पर केवल संधारण पर लगभग राशि रू. 9 से 10 करोड़ व्यय होना अनुमानित है, जब कि एल.ई.डी लाईटो के प्रकरण में कुल राशि रू. 7.67 करोड़ में लाईट बदलकर संचालन व संधारण किया जा सकता है।
6. पुरानी लाईटें हटाना एवं संवेदक अपने स्तर काम में लेना एवं नई लाईटों का 5 वर्ष तक रख रखाव का कार्य स्कोप, एवं रेट में सम्मिलित है।
7. कार्य की कुल अनुमानित लागत राशि रू. 7.67 करोड़ है।
8. निविदा उपरान्त कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाना अनुमानित है।

कृपया प्रकरण राशि रू. 7.67 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णयः— अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सुझाव दिया गया है कि टाईमर स्वीच में सेन्सर भी लगाया जाए ताकि एनर्जी सेव की जा सके एवं गौरव पथ की स्ट्रीट लाईट नही बदली जाए। उक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कमेटी द्वारा विचार विमर्श कर अनुमोदन किया गया।

बैठक अन्त में सधन्यवाद समाप्त की गई

यह बैठक कार्यवाही विवरण आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

(किशोर कुमार)
सचिव
अजमेर विकास प्राधिकरण
अजमेर

Scanned with CamScanner

क्रमांक/अविप्रा/सचिव/2021/ 886-1016 दिनांकः– 23/11/21

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
6. निजी सहायक, आयुक्त, नगर निगम, अजमेर।
7. निजी सहायक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
8. निजी सहायक, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
9. अति. जिला कलक्टर शहर, अजमेर।
10. मुख्य अभियन्ता, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
11. मुख्य अभियंता अजमेर विधुत वितरण निगम लि. अजमेर।
12. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।
13. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर रीजन, अजमेर।
14. सलाहकार (एएण्डएम) राजस्थान राज्य औद्योगिकी विकास एवं विनियोजन नि.लि., जयपुर।
15. कार्यकारी निदेशक (यांत्रिकी) (महाप्रबन्धक अभियांत्रिकी), राजस्थान राज्य परिवहन नि. लि., जयपुर।
16. उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, अजमेर।
17. उपायुक्त उत्तर/दक्षिण/पुष्कर/किशनगढ़, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
18. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
19. अधीक्षण अभियन्ता उत्तर/दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
20. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
21. वरिष्ठ लेखाधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
22. सहायक विधि परामर्शी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
23. आयुक्त, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
24. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, पुष्कर, अजमेर।
25. प्रभारी अधिकारी भंडार शाखा, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

Scanned with CamScanner